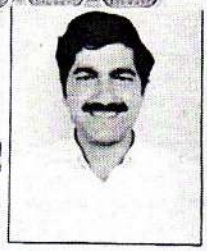

नॉर्थ ईन्डियन कॉन्वेन्ट एजुकेशनल ट्रस्ट

आसन (रोहतक)

ट्रस्ट डीड/न्यास पत्र

स्टाम्प 50/- रूपये

दिनांक ...8-9-2004...

हम नरेन्द्र सिंह पुत्र अजित सिंह पुत्र हरकिशन निवासी मोरखेड़ी त0 सांपला जिला रोहतक व विनोद कुमार पुत्र श्री देवपाल सिंह पुत्र श्री सहदेव सिंह नि0 कुताना त0 व जिला रोहतक विरेन्द्र सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र अंत राम नि0 मोरखेडी त0 सांपला जिला रोहतक अनिल कुमार पुत्र श्री सुरज भान पुत्र श्री शंकर नि0 आसन त0 जिला रोहतक व शिशपाल पुत्र सुनहरा पुत्र ज्ञानी राम नि0 कन्साला त0 व जिला रोहतक हरियाणा की काफी समय से यह प्रबल इच्छा थी कि मानव समाज की सेवा विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, एक ट्रस्ट कायम करके ट्रस्ट के माध्यम से समाज की शिक्षा के क्षेत्र में सुचारू रूप से सेवा की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति और अपनी-अपनी इच्छाओं को साकार रूप देने के लिये हमने 1,100/-रूपये की राशि ट्रस्ट फण्ड के लिये देने का निश्चय लिया है।

अब हम अपने उपरोक्त निर्णय के अनुसार अपनी स्वस्थ इन्द्रियो स्थिर बुद्वि बिना किसी के दबाव, धमकी व बहकावे के पूरे होशो-हवास व प्रसन्नता से मानव समाज की सेवा एवं कल्याण हेतु 1,100/- रूपये की धन राशि से ट्रस्ट स्थापित करते है और भविष्य में ये धन राशि की सम्पति मानी जायेगी। इस धन राशि का हमारा या हमारे परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा।

1- नाम: नॉर्थ इन्डियन कॉन्वेन्ट एजुकेशनल ट्रस्ट होगा।

2- मुख्य कार्यालय: गांव आसन त0 व जिला रोहतक होगा।

3- उद्देश्य: इस ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य होगे:-

(क) शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु हर प्रकार की पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय अथवा दस्ताकरी व शिल्प कलां सिखाने वाले केन्द्र स्थापित करना उनका संचालन करना अथवा ऐसी किसी भी

Manager
N.I.C. Sr. Sec. School
Assan (Rohtak)

Principal
N.I.C. Sr. Sec. School
ASSAN (Rohtak)

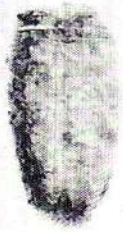

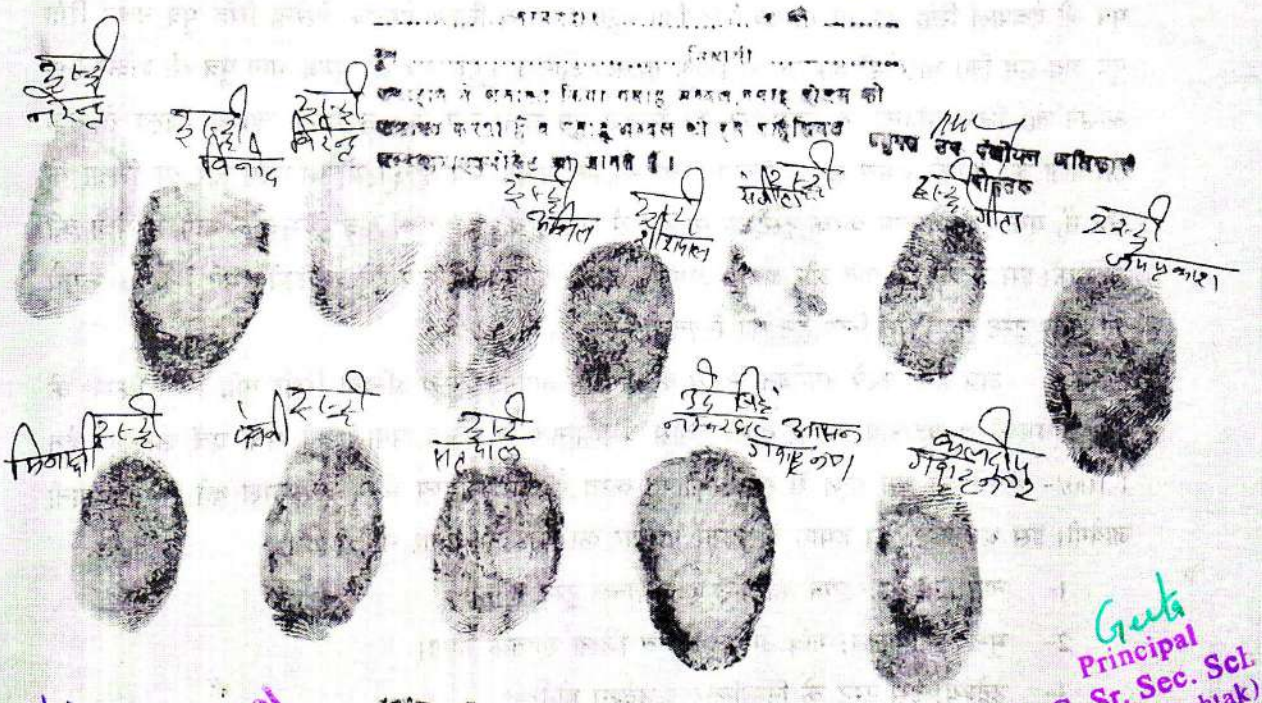

41754
दि 9/11

in 808 Pul. of ... to Trust deed

2

... 18 नवम्बर ... 54 ... 9-12-54

हस्ताक्षर

संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी
रोहतक

(हस्ताक्षर) ...

... पन्जीकृत हुआ।

... कार्तिक का दा ...
... ग्राम ...
... जिलाधीश ...
... संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी ...

हस्ताक्षर नरेन्द्र, विनोद, बिरेन्द्र, अनिल, ओमप्रकाश, गीता, ओमप्रकाश, महिपाल, नरेन्द्र सिंह, कुलदीप

... की जाती है कि निशानात अंगुश्तान ... इसके समक्ष ...

संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी
रोहतक

Devki
Manager
N.I.C. Sr. Sec. School
Assan (Rohtak)

Geeta
Principal
N.I.C. Sr. Sec. School
ASSAN (Rohtak)

विषय ज्ञान संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ख) शिक्षा के प्रचार के लिये पुस्तकालय खोलना उनकी सुचारू रूप से देखभाल करना।

(ग) छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक खेल कूद आदि की व्यवस्था करना।

(घ) शिक्षा के लिये स्कूल भवन व छात्रावास आदि का निर्माण करना व उसकी सुचारू रूप से देखभाल करना।

(ड़) सुयोग्य छात्रों के लिये पुरस्कार एवं छात्रवृति का प्रबन्ध करना अथवा उनको शिक्षा से सम्बन्धित अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

(च) बीमार व असहाय जनता की सेवा व ईलाज के लिये अस्पताल बनवाना व उनका संचालन करना व अन्य किसी प्रकार से मरीजों की सहायता करना।

(छ) ऐसे अन्य सभी कार्य जिनका ऊपर विवरण नहीं किया गया है और जो जन साधारण के कल्याण एवं लाभ के लिये हो, ट्रस्टीज किसी भी समय कर सकते है।

(ज) वृद्धाश्रम स्थापित करना व उसका संचालन करना इसके अलावा मूक वधिर, बीमार बच्चों के शिक्षा व खेलकूद के लिए स्कूल की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

4- अ. बोर्ड आफ ट्रस्टीज :- ट्रस्ट का एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा जिसमें सभी संस्थापक ट्रस्टिज होगें। इन के अलावा इस समय निम्नलिखित पांच आदमियों को ट्रस्टीज के तौर पर मनोनीत करते हैं:-

1- संगीता धर्मपत्नी श्री नरेन्द्र सिंह नि0 मोरखेडी
2- गीता देवी धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार नि0 कुताना
3- जयप्रकाश पुत्र श्री नत्था सिंह नि0 मोरखेडी
4- मिनाक्षी धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार नि0 आसन
5- देवकी धर्मपत्नी श्री शीशपाल नि0 कन्साला
6- सतपाल पुत्र श्री जयकिशन नि0 आसन

आ.1 उपरोक्त ट्रस्टीज व सहायक जीवन पर्यन्त ट्रस्ट के ट्रस्टीज पद पर बने रहेगे जब तक कि उनमें से कोई अपनी इच्छा से त्याग पत्र ना दे अथवा किसी अदालत द्वारा दिवालिया या पागल करार ना दिया जाऐ।

आ.2 किसी भी ट्रस्टी का पद रिक्त होने पर शेष सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वे बहुमत से किसी भी अन्य सुयोग्य व्यक्ति को जो कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में विश्वास रखता हो उसे ट्रस्टी नियुक्त कर सकेगे।

आ.3 उपरोक्त नियुक्त संस्थापक ट्रस्टियों सहित, ट्रस्टियों की कुल अधिकतम संख्या 11 (ग्यारह)होगी।

5- ट्रस्ट की बैठक :- वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्य बुलाई जायेगी जिसका कोरम कुल संस्थापक व ट्रस्टियों का साधारण बहुमत होगा।

Devki
Manager
N.I.C. Sr. Sec. School
Assan (Rohtak)

Geeta
Principal
N.I.C. ... School
ASSAN (Rohtak)

6- ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमों का पालन करना।

2- हर प्रकार की चल-अचल सम्पति का उचित प्रबन्ध करना, देखभाल करना और ट्रस्ट की आय व्यय का हिसाब रखना।

3- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई भूमि अथवा भवन खरीदना या निर्माण करना।

4- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी व्यक्ति, फर्म से या अन्य संस्था से दान लेना अथवा ऐसे ही उद्देश्यों वाली संस्था को दान देना।

5- ट्रस्ट के उचित प्रबन्ध के लिऐ यदि ट्रस्टीगण स्वंय उचित समय ना दे पाये तो किसी कमेटी का गठन करना और उसके नियम निर्धारित करना।

6- ट्रस्ट के कार्य भार को चलाने अथवा देखभाल करने के लिये कर्मचारियों, प्रबन्धक आदि की नियुक्ति करना, उनको हटाना या कोई अधिकार देना या वापिस लेना।

7- ट्रस्ट के हित के लिये हर प्रकार की कानूनी कारवाही अमल में लाना अधिवक्ता या मुखत्यार मुकरर करना।

8- कोई भी अन्य कार्य जो इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अवश्यक हो और जो इण्डियन ट्रस्ट एक्ट की किसी धारा का उल्लंघन ना करता हो को सम्पन्न करना।

9- ट्रस्टीगण कोई भी ऐसा कार्य नही कर सकेगा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (5), 11, 12, 12-ए, 13, 35 व 80-जी आदि की अवहेलना करता हो।

यदि कोई ट्रस्टी बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा ट्रस्ट के कार्य के लिये फुल टाईम के लिये रखा जाता है तो वह ट्रस्ट से वेतन लेने का अधिकारी होगा, वेतन की राशि तय करने का अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को होगा।

7- यदि ट्रस्टीज की किसी भी धारा में संशोधन या तब्दीली करनी पड़े तो वह बहुमत से किया जायेगा और अन्य प्रस्ताव भी बहुमत से पास किये जावेगे।

8- ट्रस्ट का हिसाब किताब:-

(क) ट्रस्ट के आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखा जायेगा और उसका वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च होगा। प्रथम वर्ष जिस दिन से यह ट्रास पत्र लागू होगा उस दिन से ही आरम्भ माना जायेगा।

(ख) ट्रस्टीगण ट्रस्ट की धन राशि में से 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार रूपये केवल) रूपये तक की राशि अपने पास रख सकेगें तथा बाकी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखेगे बैकं खाता किन्ही भी दो ट्रस्टियों द्वारा चलाया जावेगा।

9- यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता हैं कि यदि किसी समय ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट को सूचारू रूप से चलाने में असुविधा अनुभव करते हो तो वे अपनी बैठक मे सर्वसम्मित से इस आशय का प्रस्ताव पास करके ट्रस्ट की सारी चल-अचल सम्पति को किसी अन्य ऐसे ही उद्देश्यों वाली

Principal
N.I.C. Sr. Sec. School
ASSAN (Rohtak)

Manager
N.I.C. Sr. Sec. School
Assan (Rohtak)

संस्था को दे सकते है।

10- ट्रस्टीज को यह अधिकार होगा कि यदि वे उचित समझे तो ऐसे उद्देश्यों वाली किसी अन्य संस्था को उसकी चल व अचल सम्पति सहित ले सकते है।

10- अत: इस न्यास पत्र का तहरीर करदा व ट्रस्ट के संस्थापक तथा इस न्यास पत्र द्वारा नियुक्त अन्य सभी ट्रस्टीगण ने इस न्यास पत्र को पढ़कर व समझकर अपनी सहमति प्रदान करते हुये गवाहान के सम्मुख आज दिनांक 8.12.2004 को अपने हस्ताक्षर किये है। अत: यह बय ट्रस्ट नामा लिख दिया है कि सन्नद रहे बुधवार तिथि मुताबिक 17 मंगसर 1926 साका रणवीर सिंह वसीका नवीस रोहतक रजि0 759

साक्षीगण:-

I

II

संस्थापक

ट्रस्टीगण

Deepki
Manager
N.I.C. Sr. Sec. School
Assan (Rohtak)

Geeta
Principal
N.I.C. Sr. Sec. School
(Rohtak)

रणवीर सिंह
वसीका नवीस रोहतक

प्रमाणित किया जाता है कि आज ... बवेदार दिनांक 9-12-84
... 18 अगस्त 19 2-6 ... साथ के बही
... नं० 8363 बही नं० 1
जिल्द नं० 727 के सफा नं० 192
पर पंजीकृत किया गया है

संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी
रोहतक

Devki
Manager
N.I.C. Sr. Sec. School
Assan (Rohtak)

Geeta
Principal
N.J.C. Sr. Sec. School
ASSAN (Rohtak)